

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कर्मोंक : एल 1-10 / 365 / 2021 / ब-7 / डीएमसी / चार /
प्रति,

भोपाल दिनांक 22 मार्च 2021

आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन भोपाल ।

- विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 - बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स / देयकों के आहरण के संबंध में दिशा-निर्देश ।
- संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र कर्मोंक : एल 1-10 / 951 / 2020 / ब-7 / डीएमसी / चार भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2020
2. वित्त विभाग का परिपत्र कर्मोंक : एल 1-10 / 1145 / 2020 / ब-7 / डीएमसी / चार भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर 2020

000

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से कोषालय से आहरण के लिए संदर्भित पत्र क्रं-1 की कंडिका (II) व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना अंतर्गत बिन्दु क्रं-4 की उप कंडिका (4.4) अनुसार विशेष व्यय सीमा निर्धारित की गई है ।

उक्त निर्धारित विशेष व्यय सीमा अंतर्गत शेष उपलब्ध बजट को माह मार्च 2021 की व्यय सीमा में शामिल करते हुये आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

2/- पूँजीगत मदों में जो बजट तृतीय त्रैमास तक व्यय नहीं हो पाया है, उक्त पूँजीगत मदों हेतु चतुर्थ त्रैमास में व्यय करने की शिथिलता प्रदान की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी०एस० मिश्रा)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्र. एल 1-10 / 366 / 2021 / ब-7 / डीएमसी / चार /
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

भोपाल दिनांक 22 मार्च 2021

1. शासन के समस्त विभाग, म०प्र० शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल